89 विलोपित (stamp)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

III/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2017/4807

श्री विनोद भार्गव, अभि. द्वारा आज दि. 1-12-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-12-17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प०दि० 18-12-17

1. सुन्दी बाई कुम्हार पति स्व. श्री रामदीन कुम्हार, आयु- 59 वर्ष,
2. रामरतन उर्फ शेरु पुत्र स्व. श्री रामदीन कुम्हार, दोनो निवासी- ग्राम ~~शेरसिंह~~ पुर पाली, तहसील व पोस्ट पाली जिला उमरिया (म.प्र.)

--आवेदकगण

विरुद्ध

1. कौशल सिंह मरावी पुत्र मंगल सिंह मरावी, निवासी- ग्राम खालबहरा, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म. प्र.)
2. बाबूराम कुम्हार पुत्र रमईयां कुम्हार,
3. संतोष सेन पुत्र नामालूम
4. सुरेन्द्र शुक्ला पुत्र मोतीलाल शुक्ला,
5. मायाराम कुम्हार पुत्र गयाराम कुम्हार, समस्त निवासी- पाली, तहसील व थाना व पोस्ट पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)

--अनावेदकगण

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 01-12-2017

न्यायालय कलेक्टर महोदय, उमरिया जिला उमरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 21/11/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम पाली जिला उमरिया में स्थित पुराना खसरा क्रमांक 500/2 नया सर्वे क्र. 800/1 रकबा 0.65 आरे एवं खसरा क्रमांक 500/3 नया सर्वे क्र. 802 रकबा 0.90 आरे भूमि आवेदकगण के पूर्वज द्वारा सन् 1953-54 से काबिज होकर आज दिनांक तक स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियां है। आवेदकगण के पूर्वजो को सन्

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी / उमरिया / भू.रा. / 2017 / 4807

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	यह निगरानी कलेक्टर जिला उमरिया व्दारा प्रकरण कमांक 2 / 17–18 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–11–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके व्दारा कलेक्टर उमरिया ने आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत अपील प्रकरण कमांक 2 / 17–18 के संलग्न प्रस्तुत संहिता की धारा 52 के आवेदन को अमान्य किया है। 3 / आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी पाली ने प्रकरण कमांक 2 अ 23 / 09–10 में पारित आदेश दिनांक 20–9–17 से पुर्नविलोकन की अनुमति प्राप्त किये बिना आदेश पारित किया है जिसकी आड़ में राजस्व अभिलेख से आवेदकगण का नाम काटे जाने की कार्यवाही प्रारंभ हुई है और जब अनुविभागीय अधिकारी पाली के आदेश के विरूद्व कलेक्टर उमरिया के समक्ष अपील की गई । कलेक्टर उमरिया ने आवेदकगण की सुविधा सन्तुलन एंव अपूर्तनीय क्षति पर ध्यान न देते हुये संहिता की धारा 52 के आवेदन को अमान्य करने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदकगण के हित में स्थगन जारी किया जावे। 4 / आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव कलेक्टर जिला उमरिया व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–11–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर उमरिया ने अपील प्रकरण में आये तथ्यों पर एंव संहिता की धारा 52 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर विचार करके स्थगन आवेदन अमान्य किया है। कलेक्टर जिला उमरिया	

व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–11–17 के पद 4 में इस प्रकार निर्णय लिया गया है :–

" प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व्दारा प्रस्तुत तर्को एंव विधिक स्थितियों पर विचार किया गया। विचारोपरांत अपीलार्थीगण की ओर से संहिता की धारा 52 के आवेदन पर विधिक बल न होने से अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को स्थगित करने का कोई औचित्य न हेने से अमान्य किया जाता है तथा प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाता है। "

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 में बताया गया है कि रोक का आदेश देना या न देना न्यायालय के ब्रिवेक पर निर्भर है । इस विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिये । परिलक्षित है कि कलेक्टर जिला उमरिया व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–11–17 में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है । वैसे भी आवेदकगण को कलेक्टर उमरिया के समक्ष मामले में गुणदोष पर सुनवाई के समय पक्ष रखने का पूर्ण उपचार प्राप्त है जिसके कारण इस प्रकरण में स्थगन दिये जाने पर विचार करना संभव नहीं है। प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अमान्य की जाती है।

सदस्य